[2018] 14 एस.सी.आर. 993

मंजू सक्सेना

बनाम

भारत संघ एवं एएनआर.

(2018 की सिविल अपील संख्या 11766-11767)

दिसम्बर 03,2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे.जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

उपधारा 2(ओओ) और 25एफ - कर्मचारी द्वारा धारित पद निरर्थक हो गया - नियोक्ता द्वारा चार वैकल्पिक पदों की पेशकश - कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया - विच्छेद पैकेज भी कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया - इसके बाद समाप्ति उसकी सेवा - 8,17,071/- रुपये का मुआवजा दिया गया - विच्छेद पैकेज को बढ़ाने की मांग को लेकर औद्योगिक विवाद उठाया गया - सुलह की कार्यवाही में जेल - औद्योगिक न्यायाधिकरण ने नियोक्ता को कर्मचारी को सेवा की निरंतरता और पूर्ण टर्मिनल लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया - नियोक्ता द्वारा रिट याचिका - के दौरान रिट का लंबित होना, अंतरिम भरण-पोषण डब्ल्यू.एस. 17बी मंजूर कर लिया गया, जिसकी अपील में पुष्टि की गई - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा नियोक्ता की रिट याचिका को अनुमति दी गई, जिसमें कर्मचारी को 8,17,071/- रुपये की राशि को छोड़कर उसके द्वारा प्राप्त पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया - एकल न्यायाधीश के आदेश को डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया। एलपीए - समीक्षा भी खारिज कर दी गई - अपील पर, माना गया: कर्मचारी का आचरण सेवा का स्वैच्छिक परित्याग होगा - इसलिए, वह धारा 2 (ओओ) के तहत परिभाषित "निरंतर सेवा" में नहीं रह सकती थी - क्योंकि वह "निरंतर सेवा" में नहीं थी ", धारा 25एफ लागू नहीं होगी - कर्मचारी को पहले ही एक राशि मिल चुकी है जो उसके द्वारा दावा की गई राशि से लगभग दोगुनी है - प्राप्त राशि को उसके सभी दावों का अंतिम निपटान माना जाएगा।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय

माना: 1. यह स्वीकृत स्थिति है कि नियोक्ता बैंक ने अपीलकर्ता को चार वैकल्पिक पदों की पेशकश की थी जो उसके मौजूदा वेतनमान और परिलब्धियों के बराबर थे। हालाँकि, अपीलकर्ता उसे दिए गए किसी भी वैकल्पिक पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। न ही वह उसे दिए गए अतिरेक पैकेज को स्वीकार करने को तैयार थी। इन परिस्थितियों में बैंक द्वारा अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना उचित था। [पैरा 5.1]

2. अपीलकर्ता का आचरण सेवा का स्वैच्छिक परित्याग माना जाएगा, क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं बैंक में सेवा के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, सुलह कार्यवाही के दौरान भी उसने केवल बढ़े हुए विच्छेद पैकेज की मांग की है, बहाली की नहीं। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से अपनी सेवा छोड़ दी है, तो वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ओ0) के तहत परिभाषित "निरंतर सेवा" में नहीं रह सकती थी। [पैरा 5.3] [1002-डी-एफ]

बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड बनाम वेंकटैया और अन्य। ***(1964) 4 एससीआर 265;*** *विजय एस सथाये बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य।* **(2013) 10 एससीसी 253: [2013] 10 एससीआर 73 - पर भरोसा किया गया।**

3. 1947 अधिनियम की धारा 25एफ उन शर्तों को निर्धारित करती है जिन्हें नियोक्ता द्वारा "निरंतर सेवा" में रहने वाले कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करते समय पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, एस. अधिनियम की धारा 25F, उस पर लागू नहीं होगी। [पैरा 5.3]

4. वर्तमान मामले में, बैंक ने अपीलकर्ता को 8,17,071/- रुपये का भुगतान किया है, जिसमें धारा 25एफ(ए) के तहत नोटिस के बदले में 6 महीने का वेतन और गणना की गई अतिरिक्त राशि शामिल है। धारा 25एफ(बी) के अनुपालन में, 15 दिन के वेतन को सेवा के वर्षों की संख्या से गुणा करने के आधार पर। हालाँकि, अधिनियम की धारा 25F(c) के अनुपालन में, उपयुक्त सरकार या अधिसूचित प्राधिकारी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। धारा 25एफ के खंड (सी) की आवश्यकता को केवल निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है, अनिवार्य नहीं। [पैरा 5.3]

गुरमेल सिंह और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। **(1991) 1 एससीसी 189 : [1990] 2 पूरक। एससीआर 367 ;** प्रमोद झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य। **(2003) 4 एससीसी 619 : [2003] 2 एससीआर 512 - पर भरोसा किया गया।**

5. अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसे रु. की राशि प्राप्त हुई है। विभिन्न मदों के अंतर्गत 1,07,73,736/- रु. अपीलकर्ता ने रुपये की राशि का दावा किया है। 69.99 लाख. अपीलकर्ता को उसके द्वारा दावा की गई राशि से लगभग दोगुनी राशि पहले ही मिल चुकी है। उसे प्राप्त उपरोक्त रकम को उसके सभी दावों का अंतिम निपटान माना जा सकता है। [पैरा 5.4 और 6]

हाथीसिंह मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ एआईआर 1960 एससी 923: [1960] एससीआर 528 - अनुसरण किया गया।

केस कानून संदर्भ

[1964] 4 एससीआर 265	**पैरा 5.3**	**पर निर्भर था**
[2013] 10 एससीआर 73	**पैरा 5.3**	**पर निर्भर था**
[1960] एससीआर 528	**ने पैरा 5.3**	**का पालन किया**
[1990] 2 पूरक। एससीआर 367	**पैरा 5.3**	**पर निर्भर था**
[2003] 2 एससीआर 512 पैरा	**5.3**	**पर निर्भर था**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11766- 11767 0£ 2018।

एलपीए संख्या 467/2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय और आदेश दिनांक 14.07.2017 से और समीक्षा आदेश दिनांक 13.09.2017 से आरपी नंबर 380/2017 एलपीए नंबर 467/2017 में।

मंजू सक्सैना (अपीलकर्ता-व्यक्तिगत)।

अमन लेखी, एएसजी, ध्रुव मेहता, अशोक कुमार पांडा, वरिष्ठ वकील, अतीव माथुर, संजय गुप्ता, सुश्री जागृति आहूजा, सुश्री वर्षा कृपलानी, गगन गुप्ता, आर. आर. राजेश, राज बहादुर, सुश्री अनिल कटियार, दुष्यंत पाराशर, वकील. उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का फैसला

इंदु मल्होत्रा, जे. द्वारा सुनाया गया। छुट्टी दी गई।

1. वर्तमान एस.एल.पी. एल.पी.ए. में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 14/072017 से उत्पन्न हुए हैं। संख्या 467/2017, और आदेश दिनांक 13.09.2017 दिल्ली उच्च न्यायालय के आरपी संख्या 380/2017 में पारित हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिवादी - एचएसबीसी बैंक के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एल.पी.ए. को खारिज कर दिया।

2. संक्षेप में कहा गया है, तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिसमें वर्तमान एस.एल.पी. दायर किया गया है, संक्षेप में निम्नानुसार है:

2.1 अपीलकर्ता को 01.04.1986 को 2 प्रतिवादी- एचएसबीसी बैंक (इसके बाद "आर2-बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा "महिला गोपनीय सचिव" के रूप में नियुक्त किया गया था, इसके बाद, 23.04 को .1992 अपीलकर्ता को एचएसबीसी के वरिष्ठ प्रबंधक (उत्तर भारत) के लिए "वरिष्ठ गोपनीय सचिव" के रूप में पदोन्नत किया गया।

2.2 मई 2005 में, "वरिष्ठ गोपनीय सचिव" का पद निरर्थक हो गया, क्योंकि जिस अधिकारी के साथ अपीलकर्ता संलग्न था, उसने आर2-बैंक की सेवाएं छोड़ दीं। उसकी सेवाओं का उपयोग कुछ समय के लिए उसे कुछ अन्य जिम्मेदारियां देकर किया गया, जब तक कि उसे वैकल्पिक नौकरियां प्रदान नहीं की गईं।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उसे (1) की चार वैकल्पिक नौकरियों की पेशकश की गई थी) व्यवसाय विकास अधिकारी, (i1) ग्राहक सेवा अधिकारी, (111) समाशोधन अधिकारी, और (iv) बैंकिंग सेवा अधिकारी। इनमें से प्रत्येक नौकरी समान वेतनमान में थी।

अपीलकर्ता ने अपने दावे के बयान दिनांक 20.03 में स्वीकार किया है .2006, उन्होंने इस आधार पर इनमें से किसी भी नौकरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ऐसी नौकरियां या तो प्रकृति में अस्थायी थीं, या दावेदार के पास ऐसी नौकरियों को लेने के लिए अनुभव या कार्य-ज्ञान नहीं था।

2.3 01/10/2005 को, बैंक ने एक पत्र जारी कर अपीलकर्ता की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि उसकी वर्तमान नौकरी निरर्थक हो गई है। अपीलकर्ता को कई नौकरी के अवसरों की पेशकश की गई, हालांकि, उसने इनमें से किसी भी प्रस्ताव को नहीं चुना। बैंक ने एक उदार विच्छेद पैकेज की पेशकश की थी, जिसे वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। बैंक ने उसकी सेवा समाप्त कर दी, और रोजगार अनुबंध के अनुसार नोटिस के बदले में 6 महीने का मुआवजा दिया। इसके अलावा, एक विशेष मामले के रूप में, बैंक ने मुआवजा दिया,

जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर था। अपीलकर्ता को भुगतान की गई कुल राशि 8,17,071/- रुपये थी।

2.4 अपीलकर्ता ने 03.10.2005 को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद आईडी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया, और उसे भुगतान किए गए विच्छेद पैकेज को बढ़ाने की मांग की। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ता ने आर2-बैंक में बहाली के लिए कोई दावा नहीं किया।

अपीलकर्ता और आर2-बैंक के बीच सुलह की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें अपीलकर्ता ने निम्नलिखित दावे किए:

प्रमुख	**राशि (INR)**
विच्छेद	69,99,600.00
भविष्य निधि	8,90,111.60
ग्रेच्युटी	3,81,209.00
अवकाश नकदीकरण	86,541.40
मुआवज़ा + नोटिस भुगतान	8,17,071.00
कुल	**91,74,533.00**

जवाब में, बैंक ने निम्नलिखित पैकेज की पेशकश की:

प्रमुख	राशि (INR)
विच्छेद	32,79,600.00
भविष्य निधि	8,90,111.60
ग्रेच्युटी	3,81,209.00
अवकाश नकदीकरण	86,541.40
मुआवज़ा + नोटिस भुगतान	8,17,071.00
कुल	**57,29,533.00**

दोनों पक्षों के बीच एकमात्र अंतर अपीलकर्ता को देय विच्छेद की राशि के संबंध में था। चूंकि पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए सुलह की कार्यवाही विफल रही।

2.5 अपीलकर्ता ने अपना दावा विवरण दिनांक 20/03/2006 को केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (जिसे "सीजीआईटी" कहा जाता है) के समक्ष दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक उन्नत विच्छेद पैकेज, बकाया आवास ऋण की छूट और पूर्ण पेंशन का दावा किया गया। इस दावे का आर2-बैंक ने विरोध किया था। आर2-बैंक ने अपना लिखित बयान दाखिल किया और अपीलकर्ता के दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता 1डी के तहत "कर्मचारी" नहीं था। अधिनियम, 1947. बैंक ने आगे कहा कि उन्होंने एलडी के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया है। अपीलकर्ता की सेवाएँ समाप्त करते हुए अधिनियम।

एलडी सीजीआईटी ने दिनांक 01/06/2009 को एक पुरस्कार पारित किया, और आर2-बैंक को पूर्ण टर्मिनल लाभों के साथ अपीलकर्ता को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया।

2.6 आर2-बैंक ने सीजीआईटी द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या डब्ल्यू पी (सी) 11344/2009 दायर की। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 22/03/2013 के माध्यम से मामले को इस बिंदु पर नए सिरे से विचार करने के लिए सीजीआईटी को भेज दिया कि क्या अपीलकर्ता को "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार श्रमिक" माना जा सकता है। रिट याचिका को लंबित रखा गया था रिमांड के लंबित रहने के दौरान. सीजीआईटी ने दिनांक 15.07.2015 को एक नया पुरस्कार पारित किया जिसमें अपीलकर्ता को आईडी अधिनियम, 1947 के तहत "कर्मचारी" माना गया। == एलडी। सीजीआईटी ने आर2-बैंक को अपीलकर्ता को सेवा की निरंतरता, पूर्ण वेतन और सभी परिणामी लाभों के साथ फिर से बहाल करने का निर्देश दिया।

2.7 रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता ने अंतरिम भरण-पोषण की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 17बी के तहत एक आवेदन दायर किया था। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 27.07.2012 के माध्यम से रुपये की मासिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। आई.डी. की धारा 17बी के तहत अंतरिम रखरखाव के लिए अपीलकर्ता को 75,000/- रु. अधिनियम, 1947.

2.8 दिनांक 27.07.2012 के आदेश से व्यथित होकर, आर2 बैंक ने एल.पी.ए. दायर किया। अपीलकर्ता को w/S से दी गई राशि को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के

समक्ष। 17बी. डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 24.08.2012 के तहत मासिक देय राशि को घटाकर रु. 58,330/- प्रति माह जो उनके अंतिम आहरित वेतन के अनुसार था।

एस.एल.पी. अपीलकर्ता द्वारा एस.एल.पी. दायर किया गया। (सी) क्रमांक 36513/2012 आदेश दिनांक 24.08.2012 को चुनौती देने के लिए, आदेश दिनांक 07.01.2013 के तहत खारिज कर दिया गया।

तदनुसार अपीलकर्ता को धारा के तहत बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। 17B रुपये पर. 58,330/- प्रति माह।

2.9 अपीलकर्ता ने अपनी सेवा के दौरान उसके द्वारा लिए गए आवास ऋण की बकाया राशि की छूट के लिए भी दावा किया, जो उसकी समाप्ति की तारीख पर बकाया था। बकाया ऋण की कुल राशि लगभग रु. 22,16,702/-

अपीलकर्ता ने डब्ल्यू.पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आर2-बैंक द्वारा शुरू की गई वसूली की कार्यवाही को चुनौती दी। (सी) क्रमांक 19451/2006। दिनांक 18.03.2010 को एक सहमति आदेश पारित किया गया जिसके तहत बकाया राशि रु. आवास ऋण के लिए 22,16,702/- रुपये को डब्ल्यू.पी. के अंतिम परिणाम के अधीन, उसके पिछले वेतन से समायोजित किया जाना था। (सी) क्रमांक 13344/20009।

2.10 आर2-बैंक द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश दिनांक 12.04.2017 द्वारा अनुमति दी थी, और सीजीआईटी द्वारा पारित पुरस्कार को अलग रखा गया था।

उच्च न्यायालय ने आर2-बैंक की दलीलों को स्वीकार कर लिया, और माना कि अपीलकर्ता द्वारा उसे पेश किए गए चार वैकल्पिक पदों में से किसी को भी स्वीकार करने से इनकार करना, उसकी नौकरी को "त्याग" करने के समान है। इसलिए उनकी सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं था। अपीलकर्ता को कई मदों के तहत रुपये का मौद्रिक मुआवजा प्राप्त हुआ था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उन्होंने 1,07,73,736/- रुपये कमाए, जो उनकी कानूनी पात्रता का लगभग 13 गुना था। इसमें विभिन्न मदों के तहत किए गए भुगतान शामिल हैं जैसे समाप्ति के दौरान भुगतान किया गया मुआवजा, ग्रेच्युटी, अंतरिम पुरस्कार के लिए भुगतान, धारा 17 बी के तहत भुगतान, कानूनी खर्चों के लिए

भुगतान। अपीलकर्ता को रुपये की राशि को छोड़कर पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। 8,17,071/-, जो समाप्ति के समय भुगतान किया गया मुआवजा था।

2.11 डब्ल्यू.पी. में दिनांक 12.04.2017 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित। (सी) 11334/2018, अपीलकर्ता ने एल.पी.ए. दायर किया। खण्डपीठ के समक्ष क्रमांक 467/2017। डिवीजन बेंच ने दिनांक 14.07.2017 के फैसले और आदेश के तहत एल.पी.ए. को खारिज कर दिया, और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

हालांकि डिवीजन बेंच ने एलडी द्वारा पारित ऑपरेटिव निर्देश को संशोधित किया। भुगतान की गई रकम की बहाली के लिए एकल न्यायाधीश। डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता को रुपये की राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाप्ति के समय 8,17,071/- का भुगतान, मुकदमेबाजी खर्च और एलडी की धारा 17बी के तहत भुगतान की गई राशि। अधिनियम, 1947.

2.12 अपीलकर्ता ने समीक्षा याचिका संख्या 380/2017 दायर की जिसे आदेश दिनांक 13.09.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.13 अपीलकर्ता ने एल.पी.ए. में डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 जी और आदेश दिनांक 13.09.2017 को चुनौती दी है। और समीक्षा याचिका, वर्तमान एस.एल.पी. द्वारा।

3. अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहा था। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया था कि उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया जाए, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

3.1 अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह रुपये के विच्छेद पैकेज की हकदार है। 69.99 लाख, जो उनके अंतिम आहरित वेतन रुपये के बराबर है। 10 साल यानी 120 महीने की अवधि के लिए 58,330/- प्रति माह।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणना इस प्रकार है:

[विच्छेद पैकेज = अंतिम आहरित मासिक वेतन x 120 महीने]; == [रु. (58,330 x 120) = रु. 69,99,600/-]

3.2 अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह आर2-बैंक के साथ 20 वर्षों से अधिक समय से "निरंतर सेवा" में थी। नतीजतन, वह आईडी के तहत 'कामगार' को देय सभी लाभों के लिए पात्र थी। कार्यवाही करना।

3.3 अपीलकर्ता ने आगे कहा कि सेवा के दौरान उसके द्वारा लिए गए आवास ऋण की शर्तों में कर्मचारियों को 782 कुछ छूट और लाभ दिए गए हैं। अपीलकर्ता ने कहा कि उसकी बकाया ऋण राशि आर2-बैंक द्वारा माफ कर दी जानी चाहिए।

3.4 अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आर2-बैंक टी.डी.एस. काट रहा था। कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसे किए गए सभी भुगतानों पर। अपीलकर्ता का कहना है कि यह कटौती अवैध है, और वह रुपये की वापसी की हकदार है। 13,69,083/- टी.डी.एस. की कटौती की गई।

4. आर2-बैंक का प्रतिनिधित्व श्री ध्रुव मेहता, वरिष्ठ एडी, श्री गगन गुप्ता, वकील, आर2-बैंक के वकील ने किया, साथ ही प्रस्तुत किया:

4.1 टीटी स्वीकृत स्थिति है जो अपीलकर्ता के पोस्ट में थी जब उसके बॉस ने बैंक छोड़ दिया तो वह निरर्थक हो गई। अपीलकर्ता को समान वेतनमान में (i) व्यवसाय विकास अधिकारी, (i1) ग्राहक सेवा अधिकारी, (iii) समाशोधन अधिकारी, और (iv) बैंकिंग सेवा अधिकारी के चार वैकल्पिक पदों की पेशकश की गई थी। हालाँकि अपीलकर्ता ने इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों में उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। विशेष मामले के रूप में, विच्छेद राशि रु. अन्य लाभों के अलावा 8,17,071/- का भुगतान किया गया।

4.2 टीटी ने आगे कहा कि बैंक 1डी की धारा 25एफ (ए) और (बी) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। कार्यवाही करना। रुपये का मुआवजा. अपीलकर्ता को दिए गए 8,17,071/- की गणना धारा 25एफ (बी) के अनुसार की गई थी, यानी रोजगार के वर्षों की संख्या से गुणा किए गए 15 दिनों के वेतन के बराबर मुआवजा।

उच्च न्यायालय ने दर्ज किया था कि अपीलकर्ता को उस मुआवजे से अधिक मौद्रिक लाभ पहले ही मिल चुका था जिसकी वह कानून के तहत हकदार थी। इसलिए, अपीलकर्ता किसी अतिरिक्त राशि का हकदार नहीं था।

4.3 आर2-बैंक ने प्रस्तुत किया कि सुलह कार्यवाही के दौरान, उन्होंने रुपये के विच्छेद पैकेज की पेशकश की थी। 32.79 लाख जो पिछले 10 वर्षों (120 महीने के बराबर) के लिए

अंतिम आहरित मूल सी वेतन + मासिक भत्ते के आधार पर निकाला गया था। मूल वेतन रु. था. 19,280/- और मासिक भत्ते [HR.A. + मेडिकल + एल.टी.ए. रुपये का 8,050/-] । कुल मूल घटक रु. 27,330/- (19,280 + 8,050).

बैंक द्वारा विच्छेद पैकेज की गणना निम्नानुसार की गई थी: विच्छेद पैकेज

(मासिक मूल घटक x 120 महीने) = रु. 27,330 x 120 =रु. 32,79,600/-

5. हमने पार्टियों द्वारा की गई दलीलों और लिखित प्रस्तुतियों का अध्ययन किया है।

5.1 यह स्वीकृत स्थिति है कि बैंक ने "व्यवसाय विकास अधिकारी", "सीमा शुल्क सेवा अधिकारी" जैसे चार वैकल्पिक पदों की पेशकश की थी, जो उसके मौजूदा वेतनमान और परिलब्धियों के बराबर थे। हालाँकि, अपीलकर्ता उसे दिए गए किसी भी वैकल्पिक पद को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। न ही वह उसे दिए गए अतिरेक पैकेज को स्वीकार करने को तैयार थी। एफ परिस्थितियों में आर2-बैंक को दिनांक 01.10.2005 के समाप्ति पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना उचित था।

5.2 बैंक ने आईडी की धारा 25एफ के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। अधिनियम जो ऐसी शर्तें निर्धारित करता है जिनका नियोक्ता को किसी कर्मचारी की छंटनी पर पालन करना होगा।

वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने माना है कि अपीलकर्ता ने समान वेतनमान पर बैंक में किसी भी वैकल्पिक पद को स्वीकार करने से इनकार करने पर अपनी नौकरी "छोड़ दी" थी।

5.3 "परित्याग" की अवधारणा पर बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड बनाम वेंकटैया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की 3-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए फैसले में विस्तार से चर्चा की गई है! जिसमें यह माना गया कि सेवा छोड़ने का अनुमान मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जा सकता है जो साबित करते हैं कि कर्मचारी सेवा छोड़ने का इरादा रखता था। इस मामले के बाद विजय एस सथाये बनाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और अन्य में दो न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।"

हमारे सामने मौजूद मामले में, अपीलकर्ता के इरादों का अनुमान आर2-बैंक द्वारा प्रस्तावित 4 वैकल्पिक पदों में से किसी को भी स्वीकार करने से इनकार करने से

लगाया जा सकता है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वैकल्पिक पद समान वेतनमान पर थे, और इसमें कोई विशेष प्रशिक्षण या तकनीकी जानकारी शामिल नहीं थी।

किसी भी घटना में, विभिन्न मंचों के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए दावे मुआवजे की वृद्धि के संबंध में थे, जो प्रकृति में मौद्रिक हैं। अपीलकर्ता का आचरण सेवा का स्वैच्छिक परित्याग माना जाएगा, क्योंकि अपीलकर्ता ने स्वयं बैंक में सेवा के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, सुलह कार्यवाही के दौरान भी उसने केवल बढ़े हुए विच्छेद पैकेज की मांग की है, बहाली की नहीं।

एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से अपनी सेवा छोड़ दी है, तो वह आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 2(00) के तहत परिभाषित "निरंतर सेवा" में नहीं रह सकती थी।

आईडी की धारा 25एफ अधिनियम, 1947 उन शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें नियोक्ता की "निरंतर सेवा" में रहने वाले कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करते समय नियोक्ता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, आई डी अधिनियम की धारा 25 एफ, उस पर लागू नहीं होगी।

किसी कर्मचारी की छंटनी के लिए पूर्ववर्ती शर्त, जैसा कि आई.डी. की धारा 25एफ में प्रदान किया गया है। अधिनियम, 1947 की धारा 25FFF की संवैधानिक वैधता तय करते समय इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 'हाथीसिंह मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बनाम भारत संघ' मामले में चर्चा की गई थी। संविधान पीठ ने कहा,

“9. ...धारा 25-एफ के तहत, किसी औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत किसी भी कामगार को नियोक्ता द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जा सकती जब तक (ए) कर्मचारी को छंटनी के कारणों को दर्शाते हुए लिखित रूप में एक महीने का नोटिस नहीं दिया गया हो और अवधि समाप्त हो गई हो या कामगार ने छंटनी नहीं की हो। ऐसे नोटिस के बदले में वेतन का भुगतान किया गया है, (बी) कर्मचारी को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के बराबर छंटनी मुआवजा दिया गया है और (सी) निर्धारित तरीके से उचित सरकार को नोटिस दिया गया है... .धारा 25एफ के द्वारा छंटनी के खिलाफ तब तक रोक लगाई जाती है, जब तक कि उस धारा द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।"

आईडी अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ यहां नीचे दी गई है:

"25एफ कामगारों की छंटनी से पहले की शर्तें। - किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी कामगार जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में रहा हो। उस नियोक्ता द्वारा तब तक छंटनी की जाती है जब तक-

(ए) कर्मचारी को छंटनी के कारणों को दर्शाते हुए लिखित रूप में एक महीने का नोटिस दिया गया हो और नोटिस की अवधि समाप्त हो गई हो, या कर्मचारी को ऐसे नोटिस के बदले में उस अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हो नोटिस का;

(बी) कर्मचारी को छंटनी के समय, मुआवजे का भुगतान किया गया है, जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा [निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए] या छह महीने से अधिक के उसके किसी भी हिस्से के बराबर; और

(सी) निर्धारित तरीके से नोटिस उपयुक्त सरकार को दिया जाता है [या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले में, आर2-बैंक ने अपीलकर्ता को रुपये का भुगतान किया है। 8,17,071/-, जिसमें धारा 25एफ(ए) के तहत नोटिस के बदले में 6 महीने का वेतन और धारा 25एफ के अनुपालन में सेवा के वर्षों की संख्या से गुणा किए गए 15 दिनों के वेतन के आधार पर अतिरिक्त राशि की गणना शामिल है। (बी)।

हालाँकि, एलडी की धारा 25एफ(सी) के अनुपालन में, उपयुक्त सरकार या अधिसूचित प्राधिकारी को कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। कार्यवाही करना।

गुरमेल सिंह और अन्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। बनाम पंजाब राज्य और अन्य।" माना गया कि धारा 25एफ के खंड (सी) की आवश्यकता को केवल निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है, अनिवार्य नहीं। प्रमोद झा एवं अन्य में इसका अनुसरण किया गया। बनाम बिहार राज्य और अन्य।" जिसमें यह माना गया कि धारा 25एफ(सी) का अनुपालन अनिवार्य नहीं है।

5.4 अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसे रु. की राशि प्राप्त हुई है। विभिन्न मदों के तहत 1,07,73,736/-:

प्रमुख	राशि (रु. में)
नोटिस अवधि के लिए	1,77,684/-
विच्छेद वेतन	6,39,387/-
ग्रेच्युटी	3,81,209/-
निष्पादन के अनुसार पिछला वेतन	8,00,000/-
अंतरिम पुरस्कार के लिए	33,19,096/-
धारा 17बी के तहत किया गया भुगतान	54,56,360/-
कुल	**1,07,73,736/**

अपीलकर्ता ने रुपये की राशि का दावा किया है। 69.99 लाख. अपीलकर्ता को उसके द्वारा दावा की गई राशि से लगभग दोगुनी राशि पहले ही मिल चुकी है।

6. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, उसे प्राप्त उपरोक्त रकम को उसके सभी दावों का अंतिम निपटान माना जा सकता है। डिवीजन बेंच के दिनांक 14.07.2017 के आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया गया है।

सिविल अपीलें खारिज कर दी जाती हैं, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है। सभी आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील खारिज।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।